प्रेषक,

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।
3- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 14 सितम्बर, 2021

विषय: रिट याचिका संख्या-6759/2020 डॉ0 राकेश दूबे एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य तथा रिट याचिका संख्या-11587/2020 डॉ0 राकेश दूबे एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश क्रमशः दिनांक 01-09-2020 तथा 10-12-2020 का अनुपालन।

महोदय,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के दिनांक 24-08-2009 के पूर्व सेवानिवृत्त राजकीय चिकित्सकों/दन्त शल्य चिकित्सकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01-01-2016 से पुनर्निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-23/2019/सा-648/दस-2019-308/2016 दिनांक 09-08-2019 द्वारा आदेश निर्गत किये गये। उक्त शासनादेश के संबंध में निदेशक, पेंशन के पत्र दिनांक 01-06-2019 द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण के क्रम में शासनादेश संख्या-13/2020 /सा-3-326/दस-2020-308/ 2016(1) दिनांक 14-07-2020 तथा शासनादेश संख्या- 14/2020/सा-3-359/दस-2020 - 308/2016(1) दिनांक 04-09-2020 द्वारा स्पष्टीकरण निर्गत किये गये।

2- शासनादेश दिनांक 14-07-2020 के क्रम में निदेशक, पेंशन के पत्र दिनांक 16-07-2020 द्वारा प्रदेश के समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों को यह निर्देश दिये गये कि "पेंशन निदेशालय अथवा अन्य पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों द्वारा दिनांक 24-08-2009 से पूर्व सेवानिवृत्त चिकित्सकों के संबंध में दिनांक 09-03-2019 से 20 प्रतिशत एन0पी0ए0 के आधार पर निर्गत किये गये पुनरीक्षित प्राधिकार पत्रों पर तत्काल प्रभाव से भुगतान रोकते हुये उक्त प्राधिकार पत्र संबंधित पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों को मूल रूप से वापस प्रेषित कर दिये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जायं एवं यदि उक्त प्राधिकार पत्रों पर भुगतान संवितरित कर दिया गया है तो इसका समायोजन कर लिया जाय। दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्रों जिनमें दिनांक 24-08-2009 से पूर्व चिकित्साधिकारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि को अनुमन्य वास्तविक प्रैक्टिस बन्दी भत्ता जोड़कर आदेश निर्गत किये गये हैं, पर यथावत् भुगतान किया जाय।"

3- रिट याचिका संख्या-6759/2020 डॉ0 राकेश दूबे एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01-09-2020 का कार्यकारी अंश निम्नानुसार है -

"Until further orders of this Court, the operation and implementation of the impugned order dated 14.07.2020 and the consequential order dated 16.07.2020 shall remain stayed and no recovery or adjustment of the amount already paid to the petitioners as Non-Practising Allowance shall be made."

4- रिट याचिका संख्या-11587/2020 डॉ0 राकेश दूबे एवं 36 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं 03 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-12-2020 का कार्यकारी अंश निम्नानुसार है -

"Till the next date of listing, the effect and operation of the impugned order dated 04.09.2020 shall remain stayed."

5- मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 01-09-2020 तथा 10-12-2020 के अनुपालन में यह आदेश प्रदान किये जाते हैं कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित किये जाने तक शासनादेश संख्या-13/2020 /सा-3-326/दस-2020- 308/2016(1) दिनांक 14-07-2020 तथा तत्क्रम में निर्गत निदेशक, पेंशन के आदेश दिनांक 16-07-2020 एवं शासनादेश संख्या-14/2020/सा-3-359/दस-2020- 308/2016(1) दिनांक 04-09-2020 का क्रियान्वयन स्थगित रखा जाय तथा संबंधित सेवानिवृत्त चिकित्सकों से कोई वसूली/समायोजन नहीं किया जाय।

6- मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24-08-2020 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-15/2020/सा-3-360/दस-2020-308/2016(1) दिनांक 04-09-2020 द्वारायह आदेश पूर्व ही निर्गत किये जा चुके हैं कि सेवानिवृत्त चिकित्सकों से कोई वसूली अथवा समायोजन नहीं किया जाय। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या-18259/2020 में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20-01-2021 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-सा-3-रिट-88/दस-2021-101(08)/2020 दिनांक 13-04-2021 द्वारा यह आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि रिट याचिका के निस्तारण तक संबंधित सेवानिवृत्त चिकित्सकों से कोई वसूली/समायोजन नहीं किया जाये ।

भवदीया,
एस0 राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव, वित्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मा0 महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ पीठ, लखनऊ।
4- समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।